

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद

पत्रांक-डी०डी० १५५ / २०१३

सेवा में

- श्री. अनुजेम द्विवेदी एवं श्री अमीत द्विवेदी पिता-श्री आर०एन० द्विवेदी
 १. श्री आर० सुखतार, श्री मनीष कुमार सिंह पिता-श्री तारकेश्वर प्र० सिंह,
 श्री सुर्य विहार कालोनी, धनबाद ।
 २. श्री शम्भूनाथ साधु पिता- श्री जी०एल० साधु
 ३. श्री आर० सुखतार, श्री रामनिवास द्विवेदी पिता-स्व० पंडित रामानन्द द्विवेदी,
 कृष्ण विहार, धनबाद ।

धनबाद, दिनांक- 30/5/13

विषय- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह ऋण केंद्र नं०- डी०डी०- 897/12-13 संबंधी आपके आवेदन दिनांक- 19.3.13 के सम्बन्ध में।

पताक्रम

आपके आवेदन, दस्तावेज संख्या- 10469, 4919 दाखिल खारिज अनिलेख संख्या-
 176011112-13, 150611112-13 के संबंधी संख्या- 5442, 5393 से निर्गत लगान रसीद वर्ष- 12-13

की अधिप्रमाणित प्रति, साथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुरोध के आलाप में आपके द्वारा प्राप्त आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी डी०डी० केंद्र नं०-897/12-13 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रेषित की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि **कौला सुता** मंजूर अन्तर्गत खत नं०- 94, 103, 113 ब्लॉक नं०- 1893, 1788, 1895, 1896 परकवा- 91.75 डि०

भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार अनुज्ञप्ति अनियन्ता श्री **अमीत कुमार** की देख-रेख में कार्यालय के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय की ज नकली उपलब्ध करायेगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्राधान्यों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अस्वीहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे।

प्राथम निर्देशक के लिखित पूर्वाग्रहति के बिना किये गये किसी भी विवादात्मक निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही पुराना प्रवृत्त होगा।


खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे। आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये गयी सभी इन्टरनेल लाइनों का निर्माण नहीं करेंगे।

महा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वतंत्र अधिकार एवं दर्याल का प्रमाण नहीं है।

द्वारा प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है। निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल विट्रिडम बोर्ड के अग्रतम आदेशों, निर्देशों, एवं प्रावधानों से स्वतंत्र प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपर के यद में 25% कुल रकम- 2,14,700/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक अनापुस्तक धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।


 नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
 धनबाद
 28/5/13



झारखंड सरकार
भवन निर्माण विभाग

निबंधन प्रमाण-पत्र

नाम: ORIENTAL BUILDERS & DEVELOPERS

पता: फ्लैट नो-१/८, १स्ट फ्लोर, सरयू अपार्टमेंट, सूर्य विहार, बरटांड, धनबाद, (झारखण्ड)



संवेदक का हस्ताक्षर:

पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी धारण करने वाले का हस्ताक्षर: - Not Applicable -

को श्रेणी 1 में अवधि दिनांक 02/02/2017 से 01/02/2022 तक के लिए भवन निर्माण विभाग, झारखंड के संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है तथा इन्हें 03641020217 संवेदक कोड आवंटित किया गया है।

दिनांक: 02/02/2017

Sd/-
अभियंता प्रमुख - सह - निबंधन पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, झारखंड
राँची

MINERAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, DHANBAD

Licence No. 1109.....

Sri/Smt. Manish Kumar Singh has been enrolled as Licenced Engineer as per clause 13 & 14 of the Bihar Coal Mining Area Building Regulation.

He/She can prepare scheme for building and Development permit and can supervise the construction as per his/her/ their competence as specified in appendix-V of the Bihar Coal Mining Area Building Regulation. He/She will abide by the duties and responsibilities as specified in appendix-V Clause 7.1(a to k) besides the duties assigned by Managing Director from time to time.

All Schemss prepared by him should be duly signed. The Licence is valid till 31.12.2009 which may be renewed for further period of the performance shall be found satisfactory by the undersigned and on deposit of renewal fee fixed from time to time along with application. Licence will to intimate immediately after he enters in any employment in Govt./Semi Govt/ Organisation. The Managing Director of the Authority reserves the right to cancel or to suspend the Licence any time without assigning any reason thereof.


Managing Director,
Mineral Area Development Authority,
DHANBAD.
24/10/09
5/11/09